दिनांक **30.04.2013** को दोपहर 4:00 बजे **जिला अधिकारी कार्यालय** अमरोहा के सभागार कक्ष में **जिला अधिकारी महोदय** की अध्यक्षता में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अर्न्तगत जिला स्वास्थ्य समिति अमरोहा की मासिक बैठक आयोजित की गई जिसमें निम्न पदाधिकारी उपस्थित हुए।

01. मुख्य चिकित्सा अधिकारी।
02. मुख्य विकास अधिकारी।
03. मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला संयुक्त चिकित्सालय।
04. डा0 अजय कुमार वर्मा, अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी।
05. डा0 शैलेष जैन, उपमुख्य चिकित्सा अधिकारी।
06. श्री ओमप्रकाश, जिला पंचायत राज अधिकारी।
07. श्री मौ0 अल्ताफ, बी0एस0ए0।
08. श्री रविदत्त, डीआईओएस0।
09. श्रीमती पूनम रानी गुप्ता, डी0पी0ओ0।
10. चिकित्सा अधीक्षक–अमरोहा,धनौरा,गजरौला,जोया,हसनपुर,रेहरा।
11. स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी– अमरोहा,धनौरा,गजरौला,जोया,हसनपुर,रेहरा।
12. डीपीएम/डीएएम, एनआरएचएम।

बैठक मे सर्वप्रथम मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा जिलाधिकारी का अभिवादन करते हुये सभी आगुन्तको का स्वागत किया गया तथा सभी सदस्यों का जिला अधिकारी को परिचय कराया गया।

अध्यक्ष जिला स्वास्थ्य समिति से अनुमति लेकर जिला स्वास्थ्य समिति की विगत् बैठक 12.03.2013 की कार्यवाही की अनुपालन आख्या प्रस्तुत की जिसकी सर्वसम्मति से पुष्टि की गयी।

बिन्दु सं–1 जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत शत प्रतिशत उपलब्धि प्राप्त करने हेतु विगत बैठक मे डिलीवरी पाइंट बढ़ाने के निर्देश दिये गये थे। **अनुपालन आख्या मे मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा अवगत कराया** गया **कि** सभी प्रसव इकाईयों पर अतिरिक्त स्टाफ नर्स की तैनाती कर दी गयी है तथा सभी स्टाफ का डयूटी रोस्टर तैयार कर रोस्टर के अनुसार कार्य लिया जा रहा है। ऐसी आशाओ को चिन्हित किया जा रहा है जो व्यक्तिगत् लाभ हेतु प्रसवो को प्राईवेट चिकित्सालयों में डिलीवरी के लियें लाभार्थी को प्रेरित कर रही है उन आशाओ के विरूद्व कठोर कार्यवाही की जा रही है।

बिन्दु सं0–2 जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत गुणात्मक निःशुल्क भोजन एवं ड्रापबैक सुविधा उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में **अनुपालन आख्या मे मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत ब्लॉक के सभी सामु0स्वा0 केन्द्रों पर गर्भवती महिलाओ को निशुल्क भोजन एवं निशुल्क ड्रापवैक की सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है। जिस पर मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला संयुक्त चिकित्सालय अमरोहा द्वारा अवगत कराया गया कि जिला संयुक्त चिकित्सालय को भोजन सप्लाई करने वाले ठेकेदार द्वारा जिला संयुक्त चिकित्सालय पर प्रातः कालीन नाश्ते में चाय, बिस्कुट ही उपलब्ध करा जा रहा है जबकि नियमानुसार दूध, मक्खन एवं ब्रेड मेन्यू के अनुसार उपलब्ध कराया जाना है। उक्त के सम्बन्ध में जिला अधिकारी द्वारा चिकित्सा अधीक्षक अमरोहा को निर्देशित किया गया कि जे0एस0वाई0 लाभार्थी को मेन्यू के अनुसार खाना दिया जायें एवं इसकी गुणवत्ता को बनायें रखा जायें।**

बिन्दु सं0–3 आर्शीबाद वाल स्वास्थ्य गारण्टी योजना के अन्तर्गत चिकित्सकीय दल के भ्रमण कार्यक्रम को अन्य सहयोगी विभाग के साथ चर्चा करने के अनुपालन में मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय द्वारा अवगत कराया गया कि सभी चिकित्सा अधिकारियों को ब्लॉक स्तर पर शिक्षा विभाग एवं आंगनबाडी विभाग के सम्बन्धित अधिकारी के साथ बैठ कर बैठक की जा रही है जिस पर जिला अधिकारी महोदय द्वारा ब्लॉकवार माईक्रोप्लान की स्थिति से अवगत होना चाहा। तदोपरान्त जिला अधिकारी महोदय द्वारा माईक्रोप्लान को माह की 25 तारीख तक तैयार कर सम्बन्धित विभागो के साथ बैठक करके चर्चा की जायें तथा इसकी प्रति जिला स्तर पर एवं जिला अधिकारी महोदय को अवलोकनार्थ करने के निर्देश दिये गयें।

तत्पश्चात् बैठक में निम्नलिखित रूप से एजेण्डा अनुसार विभिन्न **योजनाओ** की चर्चा की गयी।

जननी **सुरक्षा योजना** : जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत वर्ष 2012–13 में वार्षिक लक्ष्य के सापेक्ष उपलब्धि 73.27 प्रतिशत होने पर अध्यक्ष द्वारा कडी आपत्ति जतायी गयी कि कार्यक्रम की गहन समीक्षा कर आगामी वर्ष में लक्ष्य के सापेक्ष उपलब्धि हासिल की जायें। चुकि सभी प्रसव इकाईयों पर मानव संसाधन की उपलब्धता सुनिश्चित कर ली गयी है अतः उपलब्ध मानव संसाधन का उचित उपयोग करते हुये लक्ष्य की प्राप्ति के पूर्ण प्रयास किये जायें। अध्यक्ष द्वारा राज्य सरकार से प्राप्त लक्ष्य को समस्त इकाईयों पर जनसंख्या के आधार पर आवंटित करने के निर्देश दिये गये तथा वर्ष 2013–14 में इकाई प्रभारी द्वारा लक्ष्य के सापेक्ष प्रत्येक माह की उपलब्धि पर समीक्षा की जाये। शिथिलता बरतने वाली इकाईयों के प्रभारियो के विरुद्व कार्यवाही करने के निर्देश दिये। जिला संयुक्त चिकित्सालय पर जनपद के अन्तर्गत सबसे कम प्रतिमाह 7 डिलीवरी सम्पादित होने पर जिला अधिकारी महोदय द्वारा मुख्य चिकित्सा अधीक्षक से कारण जानना चाहा जिस पर मुख्य चिकित्सा अधीक्षक द्वारा अवगत कराया गया कि ब्लाक अमरोहा एवं जोया की डिलीवरी ब्लाक परिसर में ही हो जाती है, एवं जिला चिकित्सालय तक नही आती है, इस पर अध्यक्ष द्वारा रोष व्यक्त करते हुए मुख्य चिकित्सा अधीक्षक को चेतावनी दी कि जिला स्तरीय अस्पताल में चिकित्सकीय सुविधायें ब्लाक स्तरीय अस्पतालों की तुलना में कही काफ़ी ज्यादा होनी चाहिये जिससे स्वयं लाभार्थी आकृषित होकर जिला स्तरीय अस्पताल का लाभ उठा सके। जिला चिकित्सालय के अधिकांश चिकित्सक आकस्मिक सेवाओं हेतु उपलब्ध नही रहते हैं। जिला चिकित्सालय में उपलब्ध सर्जन द्वारा जननी सुरक्षा योजना के लाभार्थियों को आपरेशन में सहयोग नही करने पर अध्यक्ष द्वारा मुख्य चिकित्सा अधीक्षक से कारण जानना चाहा, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक द्वारा अवगत कराया गया कि सर्जन द्वारा उनको लिखित में अवगत कराया गया है कि वह सिजेरियन सेक्शन/सिजेरियन आपरेशन में कोई सहयोग नही दे सकते। जिस पर अध्यक्ष द्वारा मुख्य चिकित्सा अधीक्षक से पूछा गया कि क्या वे सर्जन के इस कथन से सहमत हैं। मुख्य चिकित्सा अधीक्षक द्वारा सहमति से इन्कार करने पर जिला अधिकारी द्वारा उनसे अपेक्षा की गयी कि अविलम्ब इस समस्या का जनहित में समाधान कर अवगत कराया जाये। अन्यथा की दशा में सर्जन के विरुद्व कार्यवाही की जाये।

जननी **शिशु सुरक्षा कार्यक्रम** : जननी **शिशु** सुरक्षा कार्यक्रम के दौरान सभी गर्भवती महिलाओ को निशुल्क भोजन, ड्रापवैक तथा निशुल्क उपचार की सुविधायें शतप्रतिशत प्रदान की जायें, इस पर मुख्य चिकित्सा अधीक्षक जिला चिकित्सालय द्वारा अगवत कराया गया कि जिला चिकित्सालय में गर्भवती महिलाओं को जिस वेन्डर द्वारा सुबह का नाश्ता उपलब्ध कराया जाता है वह मानक के अनुरुप नही है इस पर अध्यक्ष द्वारा अमरोहा सी0एच0सी0 के प्रभारी से कारण जानना चाहा। उनके द्वारा अवगत कराया गया कि वेन्डर द्वारा अवगत कराया गया है कि जे0एस0वाई0 के अतिरिक्त अन्य भर्ती मरीज़ों को भी निःशुल्क भोजन देना पड़ता है जिससे

को निर्देश दिये गये कि यह निःशुल्क व्यवस्था केवल जे0एस0वाई0 लाभार्थियों को है। प्रभारी चिकित्सा अधिकारी वेन्डर को निर्देश दे कि केवल जे0एस0वाई के लाभार्थियों को मानक के अनुसार निःशूल्क भोजन उपलब्ध करायें। अन्यथा की दशा में उसके विरुद्व प्रभावी कार्यवाही की जाये।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने अवगत कराया कि सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र गजरौला हेतु एक अल्ट्रासाउन्ड मशीन की स्वीकृति के आदेश प्राप्त हुए हैं। जो अतिशीघ्र आने वाली है। चूंकि जिला अस्पताल में कोई अल्ट्रासान्ड मशीन नही है। इसलिये समिति के समक्ष प्रस्ताव है कि सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र गजरौला हेतु आने वाली मशीन को जिला अस्पताल में स्थापित कर दिया जाये। इससे पूरे जनपद में मरीज़ों को लाभ मिलेगा। इस प्रस्ताव को समिति के सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया। जिला अधिकारी ने निर्देशित किया कि पूर्व में आयोजित वीडियो कान्फ्रेसिंग में, प्रमुख सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण श्री संजय अग्रवाल ने जिला चिकित्सालय हेतु एक अल्ट्रासाउन्ड मशीन की स्वीकृति प्रदान की थी परन्तु अल्ट्रासाउन्ड मशीन अप्राप्त है। अतः मेरी ओर से प्रमुख सचिव को अर्द्वशासकीय पत्र लिखा जाये।

परिवार कल्याण कार्यक्रम : वर्तमान वर्ष मे विगत वर्ष की तुलना मे उपलब्धि नसबन्दी 30.6 प्रतिशत के विपरीत 28.4, कापर–टी 50.8 के विपरीत 43.9, ओ0पी0 यूर्जस 27.8 के विपरीत 6.4, सीसी यूर्जस 50.7 के विपरीत 20.2, समतुल्य नसबन्दी 49.1 के विपरीत 38.0 प्रतिशत कम होने पर अध्यक्ष द्वारा असंतोष व्यक्त किया गया एवं उपरोक्त मे सुधार हेतु चिकित्सा अधीक्षको को निर्देश दिये। नसबन्दी के साथ–साथ कॉपर–टी, ओपी यूर्जस एवं सीसी यूर्जस मे भी उपलब्धि कम होने के कारण मे मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि भारत सरकार द्वारा उपरोक्त की आपूर्ति की जाती है। आपूर्ति कम होने की दशा मे उपलब्धि कम रही। अध्यक्ष द्वारा निर्देश दिये गये कि वास्तविक आपूर्ति एवं उपलब्धि का तुलनात्मक समीक्षा करें।

अरबन हैल्थ पोस्ट : अरबन हैल्थ पोस्ट की भौतिक प्रगति समिति के सम्मुख रखी गयी। अध्यक्ष द्वारा निर्देश दिये गये कि उपरोक्त पोस्ट मे स्वास्थ्य सेवाओ की गुणवत्ता बनायी जाये। मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि दो अरबन हैल्थ पोस्टें वर्तमान में पूर्व में तैनात चिकित्सा अधिकारी की नियुक्ति जेएसवाई डिलीवरी प्वाइंट पर होने के कारण रिक्त हो गयी थी जिस कारण आर्शीबाद बाल स्वास्थ्य गारण्टी योजना के अन्तर्गत तैनात एमबीबीएस चिकित्सको के व्यक्तिगत अनुरोध पर अरबन हैल्थ पोस्ट पर कार्यक्रम हित में तैनात कर दिया गया है जिसका अनुमोदन समिति द्वारा प्रदान किया गया।

आर्शीबाद बाल स्वास्थ्य गांरटी योजना महत्वपूर्ण योजना है जिसमे सभी स्कूल जाने वाले बच्चो का स्वास्थ्य परीक्षण किया जाना है। माह जून में स्कूलों का अवकाश होने के कारण शासन स्तर से प्राप्त निर्देशों के कम मे आगनवाड़ी केन्द्रों पर पंजीकृत बच्चों का भी स्वास्थ्य परीक्षण किया जाना है। इस पर अध्यक्ष द्वारा निर्देशित किया गया कि बाल स्वास्थ्य गारंटी योजना के अन्तर्गत कार्यरत चिकित्सकीय टीमों का माइक्रोप्लान पूरे जनपद में समरुपता लाते हुए तैयार कराया जाये। जिस ग्राम में स्कूली बच्चों का परीक्षण किया जाना है उसमें सबसे पहले चिकित्सकीय टीम स्कूली बच्चों का परीक्षण करें तत्पश्चात् आंगनवाडी केन्द्रों पर जाकर पंजीकृत बच्चों का चिकित्सकीय परीक्षण किया जाये। यदि ग्राम में नियमित टीकाकरण का सत्र आयोजित हो रहा है तब वह सत्र स्थल पर जाकर कैम्प आयोजित करें जिससे ग्राम वासीयो को चिकित्सकीय सुविधायें भी मिल सके।

उपरोक्त माइक्रोप्लान तैयार करते समय ब्लाक स्तरीय शिक्षा विभाग, आई0सी0डी0एस0 के अधिकारियों के साथ बैठकर तैयार किया जाये। आगामी माह का माइक्रोप्लान प्रत्येकदशा में

28 तारीख तक तैयार कर लिया जाये। शिक्षा विभाग एवं आई0सी0डी0एस0 विभाग के अधिकारियो की जिम्मेदारी होगी कि वह पूर्व में ही सम्बन्धित स्कूलों एवं आगनवाडी केन्द्रों पर सूचना दें जिससे अधिकतम बच्चें उपस्थित रहें और अधिक से अधिक बच्चों को स्वास्थ्य लाभ दिया जा सके। सभी ब्लाक का माइक्रोप्लान एकत्रित कर बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिला कार्यक्रम अधिकारी एवं जिला विद्यालय निरीक्षक को जिला स्तर से उपलब्ध करायी जाये एवं उसकी एक प्रति स्वयं जिला अधिकारी कार्यालय में उपलब्ध करायी जाये जिससे सभी स्तरो से पर्यवेक्षण कराकर ज्यादा से ज्यादा बच्चों को उक्त योजना का लाभ दिलाया जा सके। जिला अधिकारी महोदय द्वारा यह भी निर्देशित किया गया कि प्रत्येक टीम का भ्रमणो की संख्या तथा भ्रमण किये जाने वाले स्कूलो में पंजीकृत छात्रो की वास्तविक संख्या के आधार पर लक्ष्यों का निर्धारण किया जायें एवं ऐसे स्कूलो को चिन्हित कर लिया जायें जहां पर बच्चो की संख्या 100 से अधिक है ऐसे स्कूलो में दोनो टीमो को भेजकर स्वास्थ्य परीक्षण कराया जायें।

मिशन निदेशक महोदय के पत्र सं0 एसपीएमयू/वीएसजीवाई/1/2013–14/290 दिनांक 22.4.2013 में प्रदत्त दिशानिर्देशो के क्रम में कि स्कूलों में ग्रीष्म अवकाश हो जाने के दृष्टिगत् आंगनबाडी केन्द्रो पर 6 वर्ष की आयु से छोटे बच्चो का स्वास्थ्य परीक्षण, उपचार एवं संदर्भन का कार्य किया जायें जिसकी कार्य योजना तैयार कर कार्यक्रम का संचालन किया जायें।

राष्ट्रीय क्षय नियंत्रण कार्यक्रम की प्रगति समीक्षा उपरान्त जिला अधिकारी महोदय द्वारा वर्ष में कुल टी0बी0 के सम्भावित मरीजो एवं उनमें से ईलाज उपरान्त ठीक हुये मरीजो का विवरण मांगा गया। जिस पर जिला क्षय नियंत्रण अधिकारी द्वारा कार्यक्रम की प्रगति से अवगत कराया।

अंधता निवारण कार्यक्रम माह मार्च 2013 की मासिक एवं क्रमिक उपलब्धि पर अध्यक्ष महोदय द्वारा असन्तोष व्यक्त किया गया कि पूरे वर्ष में उपलब्धि माह मार्च की उपलब्धि से काफी कम रही है। जिस पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा स्कूली बच्चों को उपलब्ध कराये गये चश्में के सन्दर्भ में अवगत कराया गया कि चश्मे सप्लाई करने की फर्म को निविदा द्वारा माह जनवरी में ही चयनित किया गया था। नेत्र सर्जन द्वारा माह मार्च 2013 में इतने ज्यादा आपरेशन दर्शाये जाने पर नोडल अधिकारी डा0 गजेन्द्र सिंह अनुपस्थित होने के कारण सन्तोषजनक उत्तर नही दिया जा सका। जिस पर अध्यक्ष द्वारा चेतावनी दी गयी कि भविष्य में रिपोर्ट बनवाते समय पूर्ण जांच कर ली जाये।

मानव संसाधन हेतु मिशन निदेशक महोदय, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या : एस0पी0एम0यू0/नियोजन/29/2012–13/3441 दिनांक 08.03.2013 के द्वारा निर्देश पारित किये गये कि पूर्व की भांति सभी योजनायें यथावत चलती रहेगी, जिसमें विभिन्न योजनाओं में कार्यरत संविदा कर्मचारी पूर्व की भांति ही कार्य करते रहेगे। इन निर्देशों के क्रम में सभी संविदा कर्मचारियों का दिनांक 04.04.2013 से नवीनीकरण कर दिया गया है जिस पर समिति के सभी सदस्यों द्वारा सहमति व्यक्त की गयी।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी
अमरोहा
23/5/13

कार्यालय : मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जनपद अमरोहा।

पत्रांक : मुचिअ/डीएचएस/4/2013–14 दिनांक 01.05.2013

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1. प्रमुख सचिव महोदय, चि0स्वा0 एवं परिवार कल्याण उ0प्र0 शासन लखनऊ।
2. मिशन निदेशक महोदय, एनआरएचएम, उ0प्र0 लखनऊ।
3. महानिदेशक महोदय, परिवार कल्याण महानिदेशालय जगत नारायण रोड लखनऊ।
4. जिलाधिकारी महोदय, जनपद अमरोहा को अवलोकनार्थ प्रेषित।
5. अपर निदेशक, चिकि0स्वा0 एवं प0क0सेवाये मुरादाबाद मण्डल मुरादाबाद।
6. मुख्य विकास अधिकारी।
7. समस्त अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी।
8. जिला पंचायत राज अधिकारी।
9. जिला विद्यालय निरीक्षक।
10. बेसिक शिक्षा अधिकारी।
11. जिला कार्यक्रम अधिकारी आईसीडीएस।
12. समस्त चिकित्सा अधीक्षक/प्रभारी चिकित्सा अधिकारी।
13. एस0एम0ओ0, एन0पी0एस0पी0।
14. डी0एम0सी0, यूनिसेफ।
15. डी0पी0एम0यू0, एनआरएचएम।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी
अमरोहा।